Sanjay Kumar Singh, IAS
Secretary, Health
-cum-
Executive Director

संजय कुमार सिंह, भा०प्र०से०
सचिव, स्वास्थ्य
-सह-
कार्यपालक निदेशक

संचिका संख्या - SHSB/PM/419/2013
पत्रांक.....................................

सेवा में,

M/s Indian Immunologicals Limited
Road No.-44, Jubilee Hills,
Hyderabad

पटना, दिनांक......................

विषय : Anti Rabies Vaccine (Intra Muscular/Intra Dermal) की आपूर्ति बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के दर पर जिलों एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के कार्यालय पत्रांक 29049 दिनांक 08.08.11 के द्वारा ARV का दर अनुबंध 152.88 (सभी प्रकार के करो सहित) प्रति 0.5ml vial में किया गया है, जिसकी वैद्यता अवधि 31.03.13 तक प्रभावी था। ARV के नये दर अनुबंध हेतु Drug Tender Round X की निविदा प्रकाशित कर विहित प्रक्रियानुसार दर अनुबंध करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के कार्यालय पत्रांक 3791 दिनांक 25.4.13 के द्वारा औषधियों की उपलब्धता बनाये रखने हेतु जनहित एवं विशेष परिस्थिति में ARV के दर अनुबंध का अवधि विस्तार राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के स्तर से नया दर अनुबंध प्रभावी होने तक किया गया है।

बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के द्वारा आपके निर्माण संस्थान द्वारा निर्मित Anti Rabies Vaccine (Intra Muscular/Intra Dermal) का दर अनुबंध 114.18 (excluding VAT+Centage) प्रति भायल में किया गया है, जबकि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा 152.88 (सभी प्रकार के करो सहित) प्रति भायल में किया गया है। राज्य स्तर पर एक ही औषधि का दो भिन्न दर पर दवा क्रय करने पर भविष्य में अंकेक्षण दल द्वारा आपत्ति की जा सकती है।

अतः उक्त के आलोक में जिलों एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के द्वारा निर्गत क्रयादेश के अनुसार ARV की आपूर्ति बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना के अनुमोदित दर 114.18+5% VAT= 119.89 (एक सौ उन्नीस रूपया नवासी पैसा) प्रति भायल में करना सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का अंकेक्षण आपत्ति उत्पन्न न हो।

विश्वासभाजन
ह०/-
(संजय कुमार सिंह)

ज्ञापांक 751 पटना, दिनांक 05.02.14

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि : प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : सभी असैनिक शल्य चिकित्साक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबधक, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/02/14

(कार्यपालक निदेशक)
-सह-
सचिव, स्वास्थ्य